न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 19/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांक 17.2.2020
किस्म अपीलः धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

घींसीबाई पत्नि शिवनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम बाछोला तहसील नैंनवा जिला बूंदी।
..... अपीलार्थी

बनाम

1. कालूलाल आत्मज जगन्नाथ मीणा नि0 ग्राम भट्टो का नया गांव तहसील नैंनवा जिला बूंदी।
2. आवंटन परार्मश दात्री समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी नैंनवा जिला बूंदी।

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री महेश योगी अभिभाषक अपीलार्थी
श्री धीरेन्द्र चौधरी अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1

:: निर्णय ::

दिनांक 18.1.2021

1 अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम मे न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) बूंदी द्वारा प्रकरण संख्या 93/प्रार्थना पत्र/99 अन्तर्गत नियम 14 (4) राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) 1970 बउनवान कालूलाल बनाम घींसी बाई वगै. मे पारित निर्णय दिनांक 30.4.2001 के विरूद्ध न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट के पक्ष मे दिनांक 12.6.99 को आवंटन परार्मश दात्री समिति नैंनवा द्वारा ख0 नं0 1847 रकबा 10 **बीघा वाके** ग्राम बाछोला तहसील नैंनवा जिला बूंदी मे कृषि भूमि का आवंटन किया गया। रेस्पो0 क्रम–1 कालूलाल द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त करने के लिये अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बूंदी के यहां प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) 1970 के अन्तर्गत पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय सुनवाई करते हुये जेरअपील निर्णय दिनांक 30.4.2001 से स्वीकार कर अपीलांट घींसी बाई को हुये आवंटन को निरस्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय के साथ पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि न्याय एवं संचिका मे प्राप्त सिद्धी के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना रेस्पो0 क्रम–1 के मौखिक कथनो आधार बनाकर बिना विवेचना किये तथा सत्यता से परे जाकर बिना रिपोर्ट प्राप्त किये सरसरी तोर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एक तरफा आवंटन निरस्त करने का निर्णय पारित कर कानूनी त्रुटि की है। नियम 14(4) राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे सिमित आधार है। प्राईवेट व्यक्ति यदि आवंटन के संबध मे कोई शिकायत करता है तो उसको यह साबित करना होगा कि उक्त आवंटित भूमि मे उसका हित किस प्रकार निहित है व आवंटन तथ्य छुपाकर या

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

गलत तरीके से तो नही करवाया गया। उक्त आधार प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय आवंटन के संबध मे पुनः विचार कर सकता है। रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ ऐसे कोई आधार प्रस्तुत नही किये गये तथा ना ही ऐसे कोई आधार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध थे। उक्त आवंटन वक्त हल्का पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलांट को पात्र मानते हुये आवंटन समिति द्वारा विधि पूर्वक किया गया था अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर अपीलांट का आवंटन निरस्त कर कानूनी त्रुटि की है। रेस्पो0 क्रम 1 द्वारा भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा होने पर उसके द्वारा बताया कि तेरा आवंटन निरस्त हो गया है तब अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर अपील पेश की गई। अतः सद्भाविक डिले होने से कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मानते हुये अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय 30.4.2001 निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।

3 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील, दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

4 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना रेस्पो0 क्रम–1 के मौखिक कथनो आधार बनाकर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एक तरफा विधि विरूद्ध आवंटन निरस्त करने का निर्णय पारित कर कानूनी त्रुटि की है। नियम 14(4) राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे सिमित आधार है। प्राईवेट व्यक्ति यदि आवंटन के संबध मे कोई शिकायत करता है तो उसको यह साबित करना होगा कि उक्त आवंटित भूमि मे उसका हित किस प्रकार निहित है व आवंटन तथ्य छुपाकर या गलत तरीके से तो नही करवाया गया। उक्त आधार प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय आवंटन के संबध मे पुनः विचार कर सकता है। रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ ऐसे कोई आधार प्रस्तुत नही किये गये तथा ना ही ऐसे कोई आधार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध थे। आवंटन समिति द्वारा अपीलांट को पात्र मानते हुये आवंटन विधि पूर्वक किया गया था अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर अपीलांट का आवंटन निरस्त कर कानूनी त्रुटि की है। अपने कथन के समर्थन मे आरआरटी 2001 (1) पेज 312, 1087 व 1219 तथा आरआरडी 1998 पेज 445 (एचसी.) आरआरडी 1996 पेज 234 आरआरटी 2006 (1)पेज 179 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

5. रेस्पोडेन्ट क्रम–1 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस मे बताया कि आवंटन सिवायचक एवं खाली जमीन का ही किया जाता है जबकि आवंटन भूमि पर मेरा कब्जा चला आ रहा है। अतिक्रमण आराजी का आवंटन नहीं किया जा सकता जब तक धारा 91 ले0रे0एक्ट के तहत अतिक्रमी भूमि से बेदखल नही कर दिया जाता। रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा उक्त भूमि मे कुआ खुदवा रखा है तथा वह भूमिहीन भी है। आवंटन परामर्शदात्री समिति मे अलोटी का पति ग्राम पंचायत के सरपंच की हैसियत से आवंटन परामर्शदात्री समिति का सदस्य था और कानूनन आवंटन समिति के किसी सदस्य के परिवार को किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध उक्त तथ्यो का समुचित परीक्षण कर निर्णय

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। डिले कन्डोन हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र पेश कर वर्णित किया कि जेरअपील अपील निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय रूप से अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया है। रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा होने पर उसके द्वारा न्यायालय से आवंटन निरस्त कर दिये जाने की कहने पर जानकारी होने पर निर्णय की नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत गई। ऐसी स्थिति मे डिले सद्भाविक होने से कन्डोन किये जाने का अनुरोध किया। रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया है तथा ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

7. पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। आवंटन आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांटा को दिनांक 12.6.99 को आवंटन परार्मश दात्री समिति नैंनवा द्वारा ख0 नं0 1847 रकबा 10 बीघा **वाके** ग्राम बाछोला तहसील नैंनवा जिला बूंदी मे कृषि भूमि का आवंटन किया गया था। रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस आधार पर स्वीकार कर उक्त आवंटन को निर्णय दिनांक 30.4.2001 से निरस्त कर दिया कि "प्रार्थना पत्र पर तत्कालीन सरंपच शिवनारायण सदस्य आवंटन परामर्शदात्री समिति के हस्ताक्षर है तथा घीसीबाई आवंटी सरपंच की पत्नि है। अतः किया गया आवंटन विधि के अनुरूप नही माना जा सकता। निर्णय मे यह भी वर्णित किया कि आवंटित भूमि आवंटन के लिये उपलब्ध नही थी, क्योंकि प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार आवंटित भूमि पर प्रार्थी एवं उसके भाई का कब्जा काश्त होना स्पष्ट है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख, जेरअपील निर्णय एंव अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित न्यायिक नजीरों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन करने उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 30.4.2001 अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धात के विपरीत होने से न्यायोचित नही माना जा सकता। जहां तक उक्त भूमि के आवंटन का प्रश्न है, आवंटन परामर्श दात्री समिति द्वारा आवंटन से पूर्व आवंटन योग्य भूमि की संबधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा सार्वजनिक उद्घोषणा जारी की जाती है। तत्पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच की जाकर आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा पात्र व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया जाता है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय मे प्रकट यह अभिमत कि "आवंटित भूमि ख0 नं0 1847 रकबा 10 बीघा वाकै ग्राम बाछोला आवंटन के लिये उपलब्ध नही थी, क्योंकि प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार आवंटित भूमि पर प्रार्थी एंव उसके भाई का कब्जा काश्त होना स्पष्ट है"। वास्तविक तथ्यों से परे होने से उचित नही ठहराया जा सकता क्योंकि आवंटन समिति द्वारा अपीलांट को पात्र मानते हुये आवंटन विधि पूर्वक किया गया था ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर अपीलांट का आवंटन निरस्त करने से तथा उसको जमीन से

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

बेदखल करने से न्याय के साथ कुठाराघात होगा जैसा कि आरआरडी 1993 पेज 516 मे प्रतिपादित किया गया है। आरआरडी 1996 पेज 234–236 मे प्रतिपादित किया गया है कि आवंटन तिथी को अतिक्रमियों के कब्जे के आधार पर आंवटी के आवंटन को निरस्त नही किया जा सकता। अतः उपरोक्त तथ्यों एंव न्यायिक नजीरों के आलोक मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेरअपील निर्णय दिनांक 30.4.2001 पूर्ण रूप से गलत, अनुचित, खिलाफ कानून दिया गया निर्णय है। जिसे न्यायोचित नही ठहराया जा सकता।

8. परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बूंदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.4.2001 को निरस्त किया जाता है तथा आवंटन परामर्शदात्री समिति नैंनवा द्वारा अपीलाट घीसीबाई को दिनांक 12.6.99 को किये गये भूमि आवंटन आदेश को यथावत रखा जाता है।

9 निर्णय आज दिनांक 18.1..2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुंनाया गया।

18/1/2021

(कैलाश चन्द मीना)
सभागीय आयुक्त
कोटा

सभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा